



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 07.03.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 134/25 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/109/121(1)/132 बी.एन.एस व 07 सीएल एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 डण्डे बरामद ।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 06.03.2025 को थाना बडौत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि दो पक्षों के अभियुक्तों 1. समीम पुत्र इब्राहिम, 2. फखरु पुत्र इब्राहिम, 3. टीनू उर्फ जुनैद पुत्र शराफत, 4. कन्नू उर्फ आरिफ पुत्र फखरु, 5. हफिजू पुत्र नसरुद्दीन, 6. सुहैल पुत्र इरफान, 7. शाकिब पुत्र हफीज, 8. इमरान पुत्र जमील हसन निवासी गण ग्राम खड़खड़ी थाना बडौत जनपद बागपत एवं 20-25 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा विधि विरुद्ध जमाव कर लाठी-डण्डे एवं धारदार-हथियार लेकर एक दूसरे को जान से मारने की नीयत से एक दूसरे पर हमला कर शांति व्यवस्था भंग की तथा पुलिस पार्टी पर भी जान से मारने की नीयत से फायर किया तथा ईट पत्थरों से हमला किया । इस सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 134/25 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/109/121(1) /132 बी.एन.एस & 7 सीएल एक्ट पंजीकृत किया गया है ।



कार्यवाही

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 134/25 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/109/121(1)/132

बी.एन.एस तथा 07 सीएल एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 डण्डे बरामद हुए हैं एवं अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. हफीजू पुत्र नसरुद्दीन निवासी ग्राम खड़खड़ी थाना बडौत जनपद बागपत।
2. शमीम पुत्र इब्राहीम उर्फ पालू निवासी ग्राम खड़खड़ी थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त 02 डण्डे।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री राम कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-म0उ0नि0 गायत्री राजपूत थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3- उ0नि0 श्री मुकेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 4- है0का0 201 विशाल कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 5- है0का0 19 अमित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 6- का0 948 पंकज कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 07.03.2025

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .12 बोर बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .12 बोर बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना---बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाये यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुनील उर्फ मिकू पुत्र मथन सिंह निवासी ग्राम खेड़ा इस्लामपुर थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .12 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री अनूप कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
2. उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
3. है0का0 437 बलजीत सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
4. है0का0 438 कवित कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
5. का0 433 गौरव कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बड़ौत

दिनांक 07.03.25

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 126/25 धारा 115(2)/110 बीएनएस में
वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 03.03.2025 को थाना बड़ौत पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.सुरेश पुत्र नामालूम , 2. सुरेश की पत्नी नाम नामालूम पति सुरेश , 3. सन्नी पुत्र सुरेश निवासीगण नई बस्ती कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत द्वारा वादिया के पति श्यामसुन्दर को फावड़े से हमला कर घायल कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया तथा वादिया व वादिया की बेटी के साथ मारपीट की । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 126/25 धारा 115(2)/110 बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 126/25 धारा 115(2)/110 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम पता:

सुरेश पुत्र राजपाल निवासी नई बस्ती पट्टी चौधरान करबा व थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-का0 1102 सुशान्त कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-का0 686 संजय कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 07.03.2025

थाना बडौत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व

पता-

रजीनश हरिजन पुत्र हर्ले उर्फ हरीलाल निवासी ग्राम लौहड्डा थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री राम कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-का0 948 पंकज कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-हो0गा0 346 दिनेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना रमाला

दिनांक 07.03.2025

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 306/24 धारा 87/64(1) बीएनएस में
वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 306/24 धारा 87/64(1) बीएनएस में 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।



नोट- उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 64(1) बीएनएस की वृद्धि की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रविन्द्र पुत्र भोपाल सिंह गोपालपुर खडाना थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-उ0नि0 श्री केदार सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।

2-का0 907 धर्मेन्द्र कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।

3-हो0गा0 599 लोकेश कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनाँक – 07.03.2025

थाना रमाला पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी का नाम व पता-

संजीव कुमार पुत्र निरंजन निवासी पट्टी बांगरान ग्राम किरठल थाना रमाला बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री सन्नी कुमार रमाला जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 549 ओमप्रकाश रमाला जनपद बागपत ।
- 3-हो0गा0 546 नरेन्द्र कुमार रमाला जनपद बागपत ।